फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास डॉ. नरेश सोनी, R.A.S

वादीगण

1. शांतिदेवी पत्नि बाबुलाल
2. कन्हैयालाल पुत्र बाबुलाल
3. भंवरलाल पुत्र बाबुलाल
4. रतन पुत्र बाबुलाल
5. गोविन्द पुत्र बाबुलाल
6. गीता पुत्री बाबुलाल जातियान छीपा
   निवासीगण अरठवाडा तह.शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण

1– कुपाराम पुत्र वागजी
2– नैनाराम पुत्र वागजी
3–पुखराज पुत्र वागजी
4–महेन्द्र पुत्र वागजी
5–जयन्ति पुत्र वागजी
6–तलसा पुत्र अगराजी
7–प्रकाश पुत्र अगराजी
8–कांतिलाल पुत्र हीराजी
9–रमेश पुत्र हीराजी
10–गोकली पत्नी हीराजी
11–गलबा पुत्र सुरताराम
12–फाउडा पुत्र सुरताराम
13–जेठा पुत्र सुरताराम
14–उगा पुत्र सोमा
15–जोता पुत्र भावाराम
16–भाना पुत्र भावाराम
17–मांगीलाल पुत्र भावाराम
18–फूली बेवा भावाराम
19–गेनाराम पुत्र तारीया
20–जयंतिलाल पुत्र तारीया
21–तेजाराम पुत्र तारीया
22–ममता पुत्री तारीया
23–हंजा पत्नी तारीया
24–चतरा पुत्र गणेशा
25–प्रेमा पुत्र गणेशा
26–सविया पुत्र गणेशा
सर्वजातियान–कुम्हार निवासीयान अरठवाडा
27–तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 07/2021

दिनाक 12.04.2023

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित।तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिये पंत्राक/कोर्ट/2023/17 दिनाक 20.02.2023 से वादग्रस्त भूमि मौजा अरठवाडा पटवार हल्का अरठवाडा तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 510 रकबा 0.1214 हैक्टयर एवं खसरा नं0 511/1 रकबा 6.8554 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.9768 हैक्टयर का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया।

अतः वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.03.2023 को प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव में आपसी सहमति दिये जाने वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को **मौजा अरठवाडा** पटवार हल्का अरठवाडा तह0 शिवगंज **के खसरा नम्बर 510 रकबा 0.1214 हैक्टयर एवं खसरा नं0 511/1 रकबा 6.8554 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.9768 हैक्टयर** का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात सहखातेदारों की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है व वर्तमान में समस्त सहखातेदार सहमत हो तो ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनाक 12.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:21 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै.	मुद्दायलाह	रूपया/पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प [illegible]नामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	–शू[illegible]

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, R.A.S

वादी

1. शांतिदेवी पत्नि बाबुलाल
2. कन्हैयालाल पुत्र बाबुलाल
3. भंवरलाल पुत्र बाबुलाल
4. रतन पुत्र बाबुलाल
5. गोविन्द पुत्र बाबुलाल
6. गीता पुत्री बाबुलाल जातियान छीपा

निवासीगण अरठवाडा तह.शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण

1– कुपाराम पुत्र वागजी
2– नैनाराम पुत्र वागजी
3–पुखराज पुत्र वागजी
4–महेन्द्र पुत्र वागजी
5–जयन्ति पुत्र वागजी
6–तलसा पुत्र अमराजी
7–प्रकाश पुत्र अमराजी
8–कांतिलाल पुत्र हीराजी
9–रमेश पुत्र हीराजी
10–गोकली पत्नी हीराजी
11–गलबा पुत्र सुरताराम
12–फाउडा पुत्र सुरताराम
13–जेठा पुत्र सुरताराम
14–उगा पुत्र सोमा
15–जोता पुत्र भावाराम
16–भाना पुत्र भावाराम
17–मांगीलाल पुत्र भावाराम
18–फूली बेवा भावाराम
19–गेनाराम पुत्र तारीया
20–जयंतिलाल पुत्र तारीया
21–तेजाराम पुत्र तारीया
22–ममता पुत्री तारीया
23–हंजा पत्नी तारीया
24–चतरा पुत्र गणेशा
25–प्रेमा पुत्र गणेशा
26–सविया पुत्र गणेशा

सर्वजातियान–कुम्हार निवासीयान अरठवाडा

27–तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 07/2021

–:निर्णय:– दिनाक 12.04.2023

वकील पक्षकारान व पैरोकार सरकार उपस्थित। दिनांक 22.02.2023 को तहसीलदार शिवगंज से प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने से उक्त प्रकरण अवलोकन कर निर्णय/डिक्री पर रखी गई।

पत्रावली का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त आराजी **मौजा अरठवाडा** पटवार हल्का अरठवाडा तह0 शिवगंज के **खसरा नम्बर 510 रकबा 0.1214 हैक्टयर एवं खसरा नं0 511/1 रकबा 6.8554 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.9768 हैक्टयर** भूमि का विभाजन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है। अतः वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शें के अनुसार राज[illegible] अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने [illegible] पश्चात [illegible]खातेदारों की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है व वर्तमान में समस्त सह[illegible] रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवा[illegible] नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक [illegible] डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 12.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:21 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

219
12/4/2023

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज